

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ख)के-272/90/अलेसे -II/19557-564 दिनांक :- 29.07.15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख) के-272/90/अलेसे -II/19272-284 दिनांक 21.07.2015 के द्वारा श्री कैलाश चन्द गोयल, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II, (लिक नम्बर-4668) कार्यालय तहसीलदार, मुण्डावर अलवर के राजस्थान सेवा नियम 50(3)(क) के तहत दिनांक 31.07.2015 से राज्य सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किये गये थे। श्री गोयल के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50(3)(4) के अन्तर्गत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त किये जाने हेतु उनके आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2015 के क्रम में विभाग द्वारा जारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के उक्त आदेश क्रमांक 19272-284 दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया जाता है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)के-272/90/अलेसे -II/19557-564 दिनांक :- 29.07.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर अलवर।
2. तहसीलदार मुण्डावर(अलवर)।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षे. का. भरतपुर।
5. श्री कैलाश चन्द गोयल स.ले.अ. ग्रेड-II कार्यालय तहसीलदार मुण्डावर(अलवर)
6. संयुक्त निदेशक, विधि/जांच।
7. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा।
8. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीअ/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)